फर्द अहकाम

पुष्पू बनाम ना. भूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 46/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/01/25	प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 27/01/25 को पेश हो। ह./ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	27/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। बहस अंतिम हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा अवकाश चाहा गया है अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 29/01/25 को पेश हो। ह./ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	29/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश / निर्णय दिनांक 31/01/25 को पेश हो। ह./ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	31/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। बहस अंतिम (वादीगण) के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में प्रस्तुत / उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ~~जिस~~ वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 120, 1206/1513, 120[illegible] 122, 124, 571, 635, 636, 63[illegible] 646, 647, 675 कुल [illegible] रकबा 2.6500 [illegible] निषेधाज्ञा के परिप्रेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है ~~क्योंकि~~ वह (वादग्रस्त भूमि) उपरोक्त कारान की सहखातेदारिता की भूमि है। ह./ P.T.O.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

प्रभू व अन्य बनाम नाथूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 46/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/01/25	जिसके अन्तर्गत बतौर अभिलिखित खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण प्रजाकान के विधिक हक अधिकार भी निहित है। जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरुद्ध विभाजन के आशय का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रावधान के अनुसार अभिलिखित खातेदारान को अपनी खातेदारी / सहखातेदारी की भूमि के संदर्भ में समुचित आधार / अनुतोष के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं नजर आता है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अ/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 46/2024

निर्णय दिनांक : 31.01.2025

1. प्रभु पुत्र कालूराम
2. रामसहाय पुत्र कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पूठकाबास उर्फ चावाकाबास तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. नाथूराम पुत्र नानूराम
2. घिरदाराम पुत्र रामदेव
3. रघुनाथ पुत्र कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पूठकाबास उर्फ चावाकाबास तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 120, 1206/1513, 1207, 1208, 1209, 121, 1210, 122, 124, 571, 635, 636, 637, 645, 646, 647, 675 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 2.6500 है. के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा के परिपेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है वह (वादग्रस्त भूमि) उभयपक्षकारान की सहखातेदारिता की भूमि है। जिसके अंतर्गत बतौर अभिलिखित सहखातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण पक्षकारान के विधिक हक अधिकार भी निहित है जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के अंतर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन के आशय का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रावधान के अनुसार अभिलिखित सहखातेदारान को अपनी खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि के संदर्भ में समुचित आधार/अनुतोष के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

ओहदा .....मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 46/2024
निर्णय दिनांक : 31.01.2025

1. प्रभु पुत्र कालूराम
2. रामसहाय पुत्र कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पूठकाबास उर्फ चावाकाबास तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. नाथूराम पुत्र नानूराम
2. विरदाराम पुत्र रामदेव
3. रघुनाथ पुत्र कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पूठकाबास उर्फ चावाकाबास तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम पूठकाबास उर्फ चावाकाबास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 120, 1206/1513, 1207, 1208, 1209, 121, 1210, 122, 124, 571, 635, 636, 637, 645, 646, 647, 675 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 2.6500 है. जो कि उभयपक्षकारान की अभिलिखित सहखातेदारिता की भूमि है के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का, प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में (जो कि उभयपक्षकारान की अविभाजित/शामलाती भूमि है) किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत, वादीगण के उपयोग-उपभोग में बाधा कारित नहीं करने, भूमि के विधिवत विभाजन होने तक विक्रय नहीं करने तथा भूमि में निर्माण कार्य नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए जाने के आशय से प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की अविभाजित/शामलती खाते में दर्ज सहखातेदारिता की भूमि है जो पक्षकारान के निहित हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। जिस पर पक्षकारान अपने निहित हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजी भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, परन्तु वादीगण अपने हिस्सेनुसार भूमि पर तारबंदी कर काबिज अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण की सीमा के लगवा भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण आये दिन सींव व सीमा-चिन्हों को नष्ट करते हुए वादीगण के हिस्से में अनावश्यक प्रवेश कर वादीगण को हैरान परेशान करते रहते है व तारबंदी को भी नष्ट करते रहते है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन अवैध अतिक्रमण/कब्जा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा वादीगण के विरोध करने पर भूमि के शामलाती होने का कथन करते है। इसी क्रम में दिनांक 20.07.2024 को भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की हिस्सा भूमि में जबरन दखलन्दाजी करते हुए अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने की पुनः कोशिश की गई तथा विधिक विभाजन के अभाव में ही भूमि को विक्रय किए जाने की धमकी दी गई जबकि वादीगण के हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। जिससे वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होकर अपनी खातेदारी भूमि व खातेदारी अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है तथा वादीगण को अधिकार है कि वे प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के विधिक विभाजन नहीं होने तक वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना ... स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा सके। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण ... आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादपत्र में उल्लेखित आराजी भूमि के ... वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे तथा भूमि के विधिवत विभाजन होने तक भूमि का विक्रय व भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करे तथा वादीगण की ... हिस्से की भूमि के उपयोग-उपभोग में बाधा कारित ना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:24 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075-2078 (राजस्व खाता सं 106 वाके ग्राम पूठकाबास उर्फ चावाकाबास तह. आमेर जिला जयपुर) की आनलाईन (प्रमाणित) प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि कुल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

खसरा किता 17 कुल रकबा 2.65 है. में वादीगण का 1/9–1/9 हिस्सा दर्ज अंकित/निहित है तथा भूमि उभयपक्षकारान की अविभाजित/सहखातेदारिता की भूमि है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित तथ्यो के संदर्भ में अपना पक्ष/जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में बावजूद विधिवत तामिल/प्राप्ति नोटिस के प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 05.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र के संदर्भ में कोई जवाब अथवा वादपत्र के तथ्यो का किसी भी रूप में कोई समुचित/औपचारिक खंडन अथवा प्रतिरोध भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अनुसरण में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। जिसके क्रम में निरन्तर अवसरो उपरान्त भी वादीगण की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाने पर दिनांक 16.01.2025 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की जाकर वादीगण अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 120, 1206/1513, 1207, 1208, 1209, 121, 1210, 122, 124, 571, 635, 636, 637, 645, 646, 647, 675 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 2.6500 है. के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा के परिपेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है वह (वादग्रस्त भूमि) उभयपक्षकारान की सहखातेदारिता की भूमि है। जिसके अंतर्गत बतौर अभिलिखित सहखातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण पक्षकारान के विधिक हक अधिकार भी निहित है जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के अंतर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन के आशय का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रावधान के अनुसार अभिलिखित सहखातेदारान को अपनी खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि के संदर्भ में समुचित आधार/अनुतोष के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:24 IST
Reason: SelfAttested